कार्यालय–ज्ञाप

उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम,1953 की धारा–12(1) के अन्तर्गत पेराई सत्र 2017–18 के लिए प्रदेश की चीनी मिलों के गन्ना आवश्यकता निर्धारण किये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–3077/सी/कय/ग.आ./2018–19 दिनांक 06–07–2018 द्वारा अध्यासी, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश से निर्धारित प्रारूपों पर **दिनांक 31.07.2018** तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे।

तद्क्रम गें प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु अपने प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। उक्त प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण में यह पाया गया कि सहकारी व निगम क्षेत्र की सभी चीनी मिलों ने विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की कतिपय चीनी मिलों द्वारा गन्ना आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायें हैं परन्तु निजी क्षेत्र की कतिपय चीनी मिलों द्वारा कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में, जैसा कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित है कि उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–12(1) में चीनी मिलों से उनकी गन्ना आवश्यकता निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों को गन्ना आवश्यकता निर्धारण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अग्रेतर पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ना क्षेत्र सुरक्षण की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी है तथा अधिकांश चीनी मिलों द्वारा अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह से पेराई कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। अतः प्रदेश के गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के आलोक मे, गन्ने की सामयिक खपत व चीनी मिलों के ससमय संचालन के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रत्येक चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाय। तद्नुसार पेराई सत्र 2018–19 में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की आवश्यकता हेतु प्रेषित प्रस्तावों व उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण एवं विश्लेषण करके उनकी गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निम्न प्रकिया/विधि निर्धारित की जाती है:–

1– <u>वे पुरानी चीनी मिलें, जिन्होंने अपनी पेराई क्षमता का विस्तार नहीं किया है</u> :–

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए पेराई सत्र 2017–18 में की गई कुल गन्ने की पेराई के दैनिक औसत के आधार पर, पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए अधिकतम 180 दिवस तथा पूर्वी क्षेत्रों की चीनी मिलों के लिए 160 दिवस मानते हुए निम्न प्रकार आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा:–

पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ने की आवश्यकता = पेराई सत्र 2017–18 में की गई कुल गन्ना पेराई का दैनिक औसत X 180 दिवस अथवा 160 दिवस

परन्तु यदि किसी चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2017–18 में **180 दिवस (पश्चिमी क्षेत्र) अथवा 160 दिवस (पूर्वी क्षेत्र) से अधिक गन्ना पेराई की गई है,** तो उसकी गन्ना आवश्यकता का आगणन पेराई सत्र 2017–18 में वास्तविक पेराई दिवस के आधार पर किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार यदि किसी चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता से कम आगणित होती है, तो उक्त चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता, पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता के बराबर मानी जायेगी।

2– वे पुरानी चीनी मिलें, जो विगत वर्षो में बन्द रही हैं, तथा पेराई सत्र 2018–19 में पेराई कार्य प्रारम्भ करने जा रही है –

तत्क्रम में उक्त श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में कुल की गई गन्ने की पेराई के दैनिक औसत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिवस तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिवस की गणना कर आवश्यकता का आंकलन निम्न प्रकार किया जायेगा:–

पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ने की आवश्यकता = अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में कुल की गई गन्ना पेराई का दैनिक औसत X 180 दिवस अथवा 160 दिवस

परन्तु उपर्युक्तानुसार यदि किसी चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में निर्धारित गन्ना आवश्यकता से कम आगणित होती है, तो उक्त चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में निर्धारित गन्ना आवश्यकता के बराबर मानी जायेगी।

3– वे पुरानी चीनी मिलें, जिन्होंने 2017–18 में पेराई सत्र के दौरान या पेराई सत्र 2017–18 के समाप्त होने के बाद अपनी पेराई क्षमता का विस्तार किया है –

ऐसी चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्वि के प्रस्ताव की जांच हेतु जांच समिति का गठन इस कार्यालय के आदेश संख्या–3928/सी/कय/ग.आ./2018–19 दिनांक 05.09.2018 द्वारा किया गया है जो चीनी मिल की पेराई क्षमता के विस्तारीकरण प्रस्ताव की विधिवत् जांच कर अपनी जांच आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायेगी। गठित समिति से विस्तारीकरण प्रस्ताव की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर ऐसी चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी:–

पेराई सत्र 2017–18 में की गई कुल गन्ने की पेराई के दैनिक औसत तथा विस्तारित क्षमता के 80 प्रतिशत को जोड़कर, पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए अधिकतम 180 दिवस तथा पूर्वी क्षेत्रों की चीनी मिलों के लिए 160 दिवस मानते हुए निम्न प्रकार आंकलन किया जायेगा:–

पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ने की आवश्यकता = (पेराई सत्र 2017–18 में की गई कुल गन्ना पेराई का दैनिक औसत + विस्तारित पेराई क्षमता का 80 प्रतिशत) X 180 दिवस अथवा 160 दिवस

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2017–18 में **180 दिवस (पश्चिमी क्षेत्र) अथवा 160 दिवस (पूर्वी क्षेत्र) से अधिक गन्ना पेराई की गई है**, तो उसकी गन्ना आवश्यकता का आगणन पेराई सत्र 2017–18 में वास्तविक पेराई दिवस के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्तानुसार यदि किसी चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता से कम आगणित होती है, तो उक्त चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता, पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता के बराबर मानी जायेगी।

4– वे चीनी मिलें, जिन्होंने पेराई सत्र 2017–18 में ट्रायल किया है एवं वर्ष 2018–19 में द्वितीय पेराई सत्र प्रारम्भ करने जा रही है :–

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण **कमांक–1** की विधि के अनुसार आगणित करते हुए, अथवा उनकी निर्धारित पेराई क्षमता के 80 प्रतिशत की क्षमता के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिवस तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिवस की गणना करते हुए, जो भी अधिक होगी, वह पेराई सत्र 2018–19 में चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता मानी जायेगी।

पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ने की आवश्यकता = पेराई सत्र 2017–18 में की गई कुल गन्ना पेराई का दैनिक औसत X 180 दिवस अथवा 160 दिवस

अथवा

पेराई सत्र 2018–19 के लिए गन्ने की आवश्यकता = (चीनी मिल की पेराई क्षमता का 80 प्रतिशत X 180 दिवस अथवा 160 दिवस

उक्त दोनो विधियों के आगणन सें जो आवश्यकता अधिक आगणित होगी, वह उनकी पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ने की आवश्यकता मानी जायेगी। परन्तु उपर्युक्तानुसार यदि किसी चीनी मिल की निर्धारित गन्ना आवश्यकता पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता से कम आगणित होती है, तो उक्त चीनी मिल की गन्ना आवश्यकता, पेराई सत्र 2017–18 में निर्धारित आवश्यकता के बराबर मानी जायेगी।

5–वे नई चीनी मिलें, जो पेराई सत्र 2018–19 में प्रथम बार पेराई कार्य प्रारम्भ करेगीं

इस श्रेणी की चीनी मिलों का प्रथम बार ट्रायल सत्र होने के कारण चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र प्रारम्भ करने की राम्भावित तिथि, आई0ई0एम0 में अंकित पेराई क्षमता, अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण पेराई क्षमता के 80 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिवस तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिवस की गणना करते हुए किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रकिया/विधि के आधार पर चीनी मिलों हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण किया जायेगा।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय आयुक्त,गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या– 4063/सी/कय/ग.आ./2018–19 लखनऊ : दिनांक 28.09.2018

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन, बापू भवन,लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,लखनऊ ।
4. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से उक्त की प्रति सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
5. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।

28.09.2018
(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(कय)
कृते गन्ना आयुक्त, उ0प्र0